फाइल सं0 610/93/सीवी पोर्टल/2023-24/एनपीसीएस

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय

9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स

लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

http://www.prgi.gov.in

दिनांक: फरवरी, 2026

2026 की परामर्शिका सं० 06

विषय: दिनांक 04.08.2025 के प्रसार संख्या सत्यापन संबंधी दिशानिर्देश से संबंधित परिशिष्ट।

विदित हो कि इस कार्यालय द्वारा दिनांक 04.08.2025 के डेस्क ऑडिट के माध्यम से प्रसार संख्या सत्यापन के लिए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित खंड जोड़ने का निर्णय लिया गया है:

डेस्क ऑडिट के माध्यम से प्रसार संख्या सत्यापन के प्रयोजनार्थ आवेदक/प्रकाशक के लिए विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की सूची में से सिर्फ निम्नलिखित दस्तावेजों को उस चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित एवं सत्यापित कराना होगा, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) तथा/या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पैनल में हो:

(i) जीएसटी दस्तावेज (जैसा लागू हो)
(ii) न्यूजप्रिंट की खपत संबंधी आंकड़ा
(iii) लेखा परीक्षित तुलन पत्र

चार्टर्ड अकाउंटेंटों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त दिशानिर्देश को ध्यान में रखें और उसके अनुरूप अपनी रिपोर्ट तैयार करें।

डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित
हितेश रावत
दिनांक: 27 फरवरी, 2026
15:20:39
(हितेश रावत)
सहायक प्रेस महापंजीयक